केन्द्र में कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गत 14-15 वर्षों से कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रोजगार केन्द्र से विधिवत् उनके नाम प्राप्त होने के बाद ही उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन व्यक्तियों को वर्ष में केवल छह मास ही काम पर रखा जाता है और उसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं ताकि वे कभी भी अपनी सेवाओं का नियमित किये जाने का दावा न कर सकें : और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी नीति तैयार करने का विचार रखती है, जिसके अंतर्गत इन व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित किये जाने पर विचार किया जा सके ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हाँ। कुल्लू जिले (हिमाचल प्रदेश) के गरसा स्थित उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र है, समय-समय पर अपनी जरूरतों के मुताबिक दिन-प्रतिदिन का काम करवाने के लिए दैनिक मजदूर रखे जाते है ।

(ख) जहां तक हो सकता है, स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम मंगाकर दैनिक मजदूरों को काम पर लगाया जाता है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नीति के अनुसार दैनिक मजदूरों को मौसमी कार्यों के लिए लगाया जाता है और काम समाप्त होने के बाद उन्हें हटा दिया जाता है ।

(घ) दैनिक मजदूरों को काम पर लगाने, उनकी मजदूरी, उनके अस्थाई दर्जे तथा उन्हें नियमित करने की नीति के बारे में परिषद भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू करती है ।

Milk Processing Plants

2842. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are a large number of applications pending for setting up milk processing plants;

(b) if so, what is the exact number of such proposals received, cleared and pending during the last three years;

(c) what are the detailed reasons for continuing the restrictions on milk processing industry and not liberalising it; and

(d) what is the total number of units already working and the capacity thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NEAM): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Shifting of Agriculture to the Concurrent List

2843. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is true that the Union Minister for Agriculture is in favour of and has suggested shifting of agriculture to the Concurrent List of the Constitution of India; and

(b) if so, what is the rationale thereof; and what decision is being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion is intended to ensure more coordinated and effective implementation of agricultural policies to benefit the whole country. No final decision has so far been taken in the matter.